



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्रांक.

/ वा0नि0-4 /

दिनांक / / 2020

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0-16 कॉम/11,12,13 व 14 पर संयुक्त रूप से निर्मित व्यवसायिक भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु किये गये आवेदन के क्रम में अधि0अभि0,नि0ख0-31 के पत्रांक-385 दिनांक 19-03-2020 द्वारा मानचित्रो को पूर्व स्वीकृत के अनुसार स्थल सत्यापन कर चैकलिस्ट में आख्या, प्रपत्र-ब सहित वांछित प्रपत्र/एन0ओ0सी कार्यालय में प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण के परीक्षणोपरांत प्रस्तुत स्टेटस पेपर पर मुख्य वास्तुविद नियोजक महोदय के अनुमोदन के क्रम में व्यवसायिक भूखण्ड सं0-16 कॉम/11,12,13 व 14 पर संयुक्त रूप से निर्मित व्यवसायिक भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध-

1. अधि0अभि0,नि0ख0-31 के पत्रांक-385 दिनांक 19-03-2020 द्वारा स्थल पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप पाया गया जिसे पूर्व स्वीकृत मानचित्रो पर सत्यापित कर प्रेषित किया गया।
2. प्रश्नगत भूखण्डो पर संयुक्त रूप से निर्मित व्यवसायिक भवन के स्थल सत्यापनोपरांत प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी स्टेटस पेपर एवं मानचित्र मुख्य वास्तुविद नियोजक के द्वारा अनुमोदित है।
3. प्रश्नगत भूखण्ड के किसी भी भाग/क्षेत्र का सब डिवीजन अनुमन्य नहीं किया जाएगा एवं ऐसा पाए जाने पर परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-यू0पी0एफ0एस0/2019/8300/एल0सी0के0/लखनऊ/510/सी0एफ0ओ0 दिनांक 05-07-2019 के द्वारा पूर्णता हेतु जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (अनापत्ति प्रमाण पत्र) 03 वर्ष की वैधता सहित निर्गत है। जिसमें अंकित शर्तों का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित किया जाएगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान होने के सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय की पुष्टि पत्रांक-385 दिनांक 19-03-2020 के साथ संलग्न चैकलिस्ट पर की गयी है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का स्थल पर संचालन/कियान्वयन भविष्य में यथावत सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण, पर्यावरण, ए0टी0सी0, अग्निशमन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निर्गत एन0ओ0सी0 की शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करना होगा।
7. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पंजीकरण प्रमाण पत्र(पंजीयन सं0-UPRERAPRJ14285) में अंकित नियम एवं शर्तों का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। (वैधता अवधि 05 वर्ष, 28-04-2017 से 27-04-2022 तक)
8. प्रश्नगत निर्माण के सापेक्ष अपर श्रम आयुक्त, लखनऊ के पत्रांक-4585/एल0आर0भ0नि0(सेस) दिनांक 25-06-2019 के द्वारा पूर्ण लेबर लेस जमा हेतु आदेश निर्गत है। यदि भविष्य में उपर विभाग द्वारा मूल्यांकन कर कोई देयता सूचित की जाती है तो इससे संबंधित द्वारा स्वयं जमा करते हुए कार्यालय को सूचित किया जाना होगा।

9. आवंटन की शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वयन, निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन आवंटी/सम्बन्धित सम्पत्ति के स्वामी द्वारा करना होगा।
10. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन/सम्पत्ति में हो रहे क्रियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रिया-कलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा परिषद के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
12. शेष नियम/शर्तें पूर्व में निर्गत स्वीकृति पत्र के अनुसार यथावत रहेंगी, जिनका अनुपालन/क्रियान्वयन प्रत्येक दशा में किया जाना होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

- 1- अनुमोदित कम्पलीशन मानचित्र 01 सेट
- 2- कम्पलीशन संबंधी प्रपत्रों का 01 सेट

(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 13/7/2020

पृ0सं0 1572 / उक्त /

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता-तृतीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-31, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ को उनके पत्र सं0-385/पी-49/11 दिनांक 19-03-2020 के क्रम में।
3. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय-वृन्दावन योजना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
4. उप श्रम आयुक्त, श्रम कार्यालय, ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ को बिन्दु सं0-8 के क्रम में।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मै0, एन0जी0के0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0, एन0सी0वी0 श्रृंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी